

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी
समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पांडेय'

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 193 / 2011
संस्थित दिनांक- 10.05.2011

म.प्र. राज्य द्वारा-
आरक्षी केन्द्र अंजड़, जिला बड़वानी

.....अभियोजन

वि रु द्ध

दिनेश पिता पर्वत भीलाला,
आयु-39 वर्ष, निवासी ग्राम मंडवाड़ा
तहसील अंजड़, जिला बड़वानी

.....अभियुक्त

अभियोजन द्वारा	- श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ.
अभियुक्त द्वारा	- श्री एल.के. जैन अधिवक्ता ।

-: निर्णय :-
(आज दिनांक 28/05/2016 को घोषित)

1. आरोपी के विरुद्ध थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 82/11 के आधार पर दिनांक 06.04.11 को रात्रि लगभग 10:00 बजे ग्राम मंडवाड़ा में अभियोक्त्री के निवास स्थान में कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आशय से दीवार कूदकर प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृहभेदन कारित करने तथा अभियोक्त्री जो कि एक स्त्री है उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिये भा.द.वि. की धारा-457, 354 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।
2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षी आरोपी को जानते हैं तथा पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था ।
3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06.04.11 को अभियोक्त्री अपने निवास स्थान में रात 10:00 बजे अपनी खाट पर सो रही थी, उसके पति कालू देवर के यहां गये थे, तभी पड़ोसी अभियुक्त दीवार कूदकर आया और बुरी नियत से उसे पकड़ लिया, उसने आरोपी को बिजली के उजाले में पहचान लिया था, आरोपी जबरदस्ती उसकी छाती दबाने लगा, चिल्लाने पर आरोपी छोड़कर भाग गया, उसके पति कालू और देवर मंशाराम और अशोक आवाज सुनकर दौड़कर आए, उसका बेटा पवन भी उठ गया । फरियादिया ने सभी को घटना बतायी । आरोपी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा । इस घटना की रिपोर्ट अभियोक्त्री ने थाना अंजड़ पर की, जहां पर अपराध क्रमांक 82/11 अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज किया गया । विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा

नक्शामौका बनाया गया । साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये । आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

4. उक्त अनुसार मेरे विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा-457, 354 का आरोप लगाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया है तथा अपना विचारण चाहा है । भा.द.सं. की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फँसाया गया है, लेकिन अभियुक्त ने बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 06.04.11 को रात्रि लगभग 10:00 बजे स्थान ग्राम मंडवाड़ा में अभियोक्त्री के निवास स्थान में कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिये दीवार कूदकर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृहभेदन कारित कारित किया ?
2	क्या उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर अभियुक्त ने अभियोक्त्री जो कि एक स्त्री है कि लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
3	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

—:: सकारण — निष्कर्ष ::—

6. प्रकरण में अभियोजन की ओर से साक्षी अभियोक्त्री (अ.सा.1), कालू (अ.सा.2), पवन (अ.सा.3), मंशाराम (अ.सा.4), प्रधान आरक्षक दुलीचंद पाटीदार (अ.सा.5) एवं उपनिरीक्षक के.के. मिश्रा (अ.सा.6) का परीक्षण कराया गया है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 का निराकरण :-

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी अभियोक्त्री (अ.सा.1) का कथन है कि घटना लगभग 7 महीने पहले रात्रि 10 बजे की है । घटना के समय वह अपनी खाट पर सोयी थी, घर में उसका लड़का पवन जिसकी उम्र 11 वर्ष है, वह भी सोया था, उसके पति कालू घटना के समय टॉवर के पास उसके देवर के घर टी.वी. देखने गये थे । उसके पड़ोस में रहने वाला दिनेश (आरोपी) घटना के समय उसके घर की दीवार कूदकर घर के अंदर आया तथा उसने उसकी छाती व गला दबाया था, तो वह जोर से चिल्लायी थी, तो उसका देवर मंशाराम एवं उसका पति कालू दौड़कर आये, तब दिनेश भाग गया । दिनेश उसके घर के पड़ोस में रहता है और उसने उसे लाईट में पहचाना था । घटनास्थल पर अशोक भी आया गया था तथा पवन उसके चिल्लाने से उठ गया था । उसके देवर और पति ने आरोपी को देख लिया था, तब आरोपी दीवार कूदकर भाग गया था । उसने घटना की रिपोर्ट उसके पति एवं देवर के साथ

जाकर लिखायी थी । साक्षी ने प्र.पी.1 की रिपोर्ट पर अंगूठा लगाना और ऐसी ही लिखाना स्वीकार किया है । पुलिस घटनास्थल पर आई थी ।

8. बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में फरियादिया ने स्वीकार किया कि उसके घर की दीवार की उंचाई लगभग 10 फीट है । मकान के उपर लकड़ियां डली हुई थी, कवेलू या पतरे नहीं डले हैं । उसके घर के पास लछिया दाजी, फतिया कहार, लच्छू जीजी का मकान है और किसी अन्य के मकान नहीं हैं । लछिया दाजी एवं फतिया कहार के मकान पूरे बने हुए नहीं हैं, साक्षी ने स्पष्ट किया कि गिर चुके हैं । फरियादिया ने स्वीकार किया कि उसके घर के दरवाजे के अतिरिक्त अंदर आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है और उसके घर के आसपास जो घर हैं, उनकी दीवारें उसके घर की दीवार से बड़ी हैं । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया कि उसके घर की दीवारों से कोई उसके घर के अंदर नहीं आ सकता है । उसके घर के आसपास के लोग मकान छोड़कर चले गये हैं और नई बसाहट में निवास करने चले गये हैं । वह उसके घर में अकेली निवास करती है । फरियादिया ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि घटना के समय उसके घर की बिजली बंद थी । मंशाराम का मकान उसके मकान से 200-300 फीट की दूरी पर है और अशोक का मकान 300-350 फीट की दूरी पर है । उसके घर में एक कमरा है । उसका मकान 20 बाय 30 फीट का है । उसके मकान के पूर्व की ओर दीवार पर बल्ब लगा हुआ था तथा सोते समय उसका मुँह पूर्व दिशा की ओर था ।

9. फरियादिया ने स्वीकार किया कि आरोपी के परिवार से उसके परिवार का लड़ाई-झगड़ा होते रहता था और उनकी बोलचाल पहले से बंद थी । फरियादिया ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि रिपोर्ट उसके पति और देवर ने लिखायी थी, साक्षी ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट उसने लिखायी थी । उसने अपने पति और देवर द्वारा आरोपी को देखने की बात प्र.पी.1 की रिपोर्ट में नहीं लिखायी थी, लेकिन उसे याद नहीं है कि उसने उक्त प्र.पी.1 की रिपोर्ट में उसके पति और देवर ने आरोपी को भागते देखने की बात बतायी थी या नहीं । साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने सोने के पूर्व घर की कड़ी केवल अटका दी थी, साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसके पति टी. वी. देखने बाहर गये थे, इस कारण से दरवाजे की कुण्डी पूरी तरह नहीं लगायी थी । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसके पति और देवर को आने में 10-15 मिनट लगे थे, साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसके चिल्लाने के साथ ही उसके पति और देवर आ गये थे, तब उसकी अभियुक्त से अमक-झुमक हो रही थी । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने प्र.पी.1 की रिपोर्ट में आरोपी से अमक-झुमक होने की बात लिखायी थी । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि पारिवारिक रंजिश होने के कारण उसने और उसके पति ने आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखायी थी अथवा उसने आरोपी को पहचाना नहीं था । यह भी अस्वीकार किया है कि वह असत्य कथन कर रही है ।

10. साक्षीगण कालू (अ.सा.2) एवं मंशाराम (अ.सा.4) ने भी अभियोक्त्री (अ.सा.1) के कथनों का समर्थन करते हुए अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के घर में घुसकर छेड़खानी करने के संबंध में कथन किये हैं । साक्षी कालू (अ.सा.2) का यह भी कथन है कि वह घर के अंदर गया था, तब आरोपी दिनेश दीवार कूदकर भाग गया था । बचाव-पक्ष की ओर से दिये गये सुझाव को साक्षी ने अस्वीकार किया है कि घटना के समय विद्युत प्रदाय बंद था । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह घटना के समय मंशाराम के टॉवर की देखभाल कर रहा था । उसने पुलिस को प्र.डी.1 के कथन में उसके द्वारा टॉवर की देखभाल करने की बात नहीं बतायी थी । साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि जब वह पहुँचा, तब आरोपी घर पर नहीं था अथवा उन्होंने झूठी रिपोर्ट लिखवाई है ।

11. साक्षी पवन (अ.सा.3) का कथन है कि घटना लगभग 2 वर्ष पूर्व रात्रि लगभग 10 बजे की है । आरोपी ने उसके घर पर आकर उसकी माँ के साथ छेड़छाड़ की थी, उसकी माँ के चिल्लाने पर उसके पिता दौड़कर आए थे, जिन्हें देखकर आरोपी भाग गया था । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसकी माँ के साथ छेड़खानी की घटना उसे उसकी माँ ने बतायी थी, साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसने छेड़छाड़ होते हुए देखी थी । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके घर के आसपास 10-20 व्यक्तियों के मकान हैं । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने आरोपी को खाट पर नहीं देखा था, साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसने घटना देखी है ।

12. साक्षी मंशाराम (अ.सा.4) का यह भी कथन है कि 3 वर्ष पूर्व रात्रि के समय वह अपने घर पर था, उसने फरियादिया के चिल्लाने की आवाज सुनी थी तो वह फरियादिया के घर गया था, तो उसे फरियादिया ने बताया था कि आरोपी उसके घर में कूद गया था और उसके साथ छेड़खानी भी की थी । जब वह फरियादिया के घर गया था, तब अभियुक्त वहां से जा चुका था । तब उन्होंने रात्रि में घटना की रिपोर्ट थाना अंजड़ पर दर्ज करायी थी । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका मकान फरियादिया के मकान से लगभग 100 फीट की दूरी पर है । उसके मकान एवं फरियादिया के मकान के मध्य लगभग 4-5 अन्य व्यक्तियों के मकान हैं । वह वहां पहुँचा था उस समय फरियादिया का पति घर पर ही था । इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि जिस समय वह फरियादिया के घर गया था, उस समय विद्युत प्रदाय बंद था । साक्षी ने इस संभावना से इन्कार किया है कि वह और उसका भाई फरियादिया के घर पर दरवाजे के बाहर खड़े थे तो आरोपी उनके सामने घर से बाहर निकलते हुए भागा था । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि फरियादिया के परिवार एवं आरोपी के परिवार के मध्य आपस में बोलचाल बंद है और पूर्व में भी दो-तीन बार विवाद हुआ था, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि घर के अंदर कूदने की बात को लेकर विवाद हुआ था । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि फरियादिया उसकी भाभी है, इसलिए वह असत्य कथन कर रहा है ।

13. साक्षी प्रधान आरक्षक दुलीचंद पाटीदार (अ.सा.5) का कथन है कि दिनांक 06.04.11 को वह थाना अंजड़ में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था । उक्त दिनांक को फरियादिया ने थाने पर आकर आरोपी के विरुद्ध दीवार कूदकर बुरी नियत से पकड़ने के संबंध में प्र.पी.1 की रिपोर्ट लिखायी थी, जिस पर उसने अपराध क्रमांक 82/11 का दर्ज किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि

फरियादिया ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखायी थी अथवा रिपोर्ट फरियादिया के पति एवं देवर ने लिखायी थी । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने रिपोर्ट अपनी मर्जी से लेखबद्ध कर ली थी ।

14. साक्षी उपनिरीक्षक के.के. मिश्रा (अ.सा.6) का कथन है कि दिनांक 07.04.11 को उसने थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 82/11 की केस-डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटनास्थल ग्राम मंडवाड़ा पहुँचने पर फरियादिया की निशांदेही से प्र.पी.6 का नक्शामौका बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । साक्षी का कथन है कि उसने फरियादिया एवं साक्षीगण के कथन उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये थे । उसने आरोपी को गिरफ्तार किया था । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्र.पी.6 के पंचनामे में दीवार कितनी उंची बनी है, इसका उल्लेख नहीं है । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि फरियादिया के मकान से पड़ौसी के मकान में नहीं जाया जा सकता था, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि फरियादिया के मकान की दीवार की उंचाई कम है । साक्षी ने यह जानकारी होने से इन्कार किया है कि फरियादिया के मकान के आसपास कितने लोगों के मकान हैं । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि फरियादिया एवं लच्छा के मकान आपस में जुड़े हुए नहीं हैं तथा उनके मध्य खाली स्थान छूटा हुआ है । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि एक मकान से दूसरे मकान में तभी जाया जा सकता है, जब दोनों मकान की दीवार मिलती है, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि बीच के खाली स्थान को पार करके भी जाया जा सकता है । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने नक्शामौका नहीं बनाया था एवं फरियादिया एवं साक्षियों ने उसे कोई कथन नहीं दिये थे अथवा वह असत्य कथन कर रहा है ।

15. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि फरियादिया की प्रथम सूचना प्रतिवेदन एवं साक्षियों के कथनों में इस बिंदु पर विरोधाभास है कि फरियादिया का पति घटना के समय कहा गया था । फरियादिया के मकान के आसपास रहने वाले व्यक्तियों के कथन लेखबद्ध नहीं किये गये हैं तथा आरोपी एवं फरियादिया के परिवार के मध्य पूर्व से ही रंजिश है, जिसके कारण फरियादिया ने असत्य रिपोर्ट दर्ज करायी है । उनका यह भी तर्क है कि पवन (अ.सा.3), कालू (अ.सा.2), मंशाराम (अ.सा.4) ने घटनास्थल पर आरोपी को देखने के संबंध में पुलिस को कथन नहीं दिये थे तथा पवन ने पुलिस कथन के दौरान आरोपी द्वारा घटना कारित करते हुए देखने के संबंध में कथन नहीं किये हैं, बल्कि उसकी माँ ने उसे घटना बतायी है, यह कथन किया है, ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्षियों के कथन विश्वसनीय नहीं रह जाते हैं ।

16. यह सही है कि फरियादिया की प्रथम सूचना प्रतिवेदन में यह लिखा हुआ नहीं है कि आरोपी ने उसका गला दबाया था, लेकिन उक्त विलोप इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जिससे कि अभियोजन का संपूर्ण मामला दूषित हो जाए, जहां तक फरियादिया के पति कालू का उसके भाई के घर टी.वी. देखने जाने या चौकीदारी करने के लिये टॉवर पर जाने के संबंध में विरोधाभास का प्रश्न है, उक्त विरोधाभास से भी

अभियोजन के मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उक्त विरोधाभास तात्विक स्वरूप का नहीं है और अभियुक्त द्वारा फरियादिया के निवास स्थान में सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व दीवार फांदकर उसके निवास स्थान में प्रवेश करने और फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से उसकी छाती दबाने के संबंध में फरियादिया के कथन पूर्णतः विश्वसनीय हैं, जिसका कोई भी खंडन बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है । साक्षी पवन (अ.सा.3) जो कि फरियादिया का पुत्र है, ने भी उसकी माँ के साथ अभियुक्त द्वारा छेड़छाड़ करने के संबंध में स्पष्ट कथन किये गये हैं, जिसका कोई भी खंडन बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है । अपने पुलिस कथन में भी पवन (अ.सा.3) ने अभियुक्त को उसकी माँ की खाट पर बैठे हुए देखना बताया है तथा न्यायालय कथन के दौरान उक्त साक्षी ने अभियुक्त द्वारा उसकी माँ के साथ छेड़छाड़ करने के संबंध में कथन किये हैं, इस प्रकार उक्त साक्षी के पुलिस कथन प्र.डी.2 एवं न्यायालय कथन में मामूली सा विरोधाभास है, जो उक्त साक्षी की उम्र (घटना के समय 11 वर्ष) को देखते हुए स्वाभाविक प्रतीत होता है और इससे साक्षी के संपूर्ण कथन संदेहास्पद नहीं माने जा सकते । साक्षी कालू (अ. सा.2), मंशाराम (अ.सा.4) ने भी फरियादिया के चिल्लाने पर घटनास्थल पर पहुँचकर और अभियुक्त को भागते हुए देखने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं, जिससे कि फरियादिया के कथनों की पुष्टि होती है । इस घटना की रिपोर्ट फरियादिया द्वारा तत्काल बाद जाकर थाना अंजड़ में दर्ज करायी है, जहाँ पर प्र.पी.1 की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अपराध की विवेचना के.के. मिश्रा तत्कालीन उपनिरीक्षक द्वारा की गयी थी, जिसने नक्शामौका बनाया है तथा साक्षीगण के कथन भी लेखबद्ध किये हैं ।

17. जहाँ तक फरियादिया एवं अभियुक्त के परिवार के बीच पूर्व की रंजिश होने का प्रश्न है, वहाँ बचाव-पक्ष की ओर से रंजिश का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है तथा साक्षी मंशाराम (अ.सा.4) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट किया है कि फरियादिया के परिवार तथा दिनेश के परिवार के मध्य इसके पूर्व दो-तीन बार विवाद घर के अंदर कूदने की बात पर हुआ था । सभी साक्षियों ने आरोपी और फरियादिया पक्ष के मध्य पूर्व की रंजिश होने के तथ्य से स्पष्ट इन्कार किया है तथा फरियादिया एवं अभियुक्त पक्ष की केवल बातचीत बंद होना ही रंजिश होने का पर्याप्त आधार नहीं है । इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि कोई भी महिला छोटी सी रंजिश को लेकर किसी भी व्यक्ति पर अपनी लज्जा भंग करने का आरोप मिथ्या रूप से लगाना भारतीय समाज की परिस्थितियों में संभव प्रतीत नहीं होता है ।

18. फरियादिया ने घटना के संबंध में घटनास्थल पर बिजली का उजाला होना तथा उसकी रोशनी में आरोपी को पहचानने के संबंध में भी स्पष्ट कथन किया है, जिसका भी कोई खंडन बचाव-पक्ष की ओर से नहीं किया गया है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 'निष्कर्ष' एवं 'दण्डादेश' :-

19. इस प्रकार अभियोजन की साक्ष्य से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर अभियोक्त्री के निवास स्थान में दण्डनीय अपराध कारित करने के आशय से दीवार कूदकर प्रवेश कर गृहभेदन कारित किया है तथा अभियोक्त्री जो कि एक स्त्री है कि लज्जा भंग करने के आशय से उसकी छाती दबाकर उस पर बल का प्रयोग कर उसकी लज्जा का अनादर किया है । इस प्रकार अभियुक्त का उक्त कृत्य भा.द.वि. की धारा-457, 354 का अपराध है, जो कि अभियोजन संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है ।

20. अतः यह न्यायालय अभियुक्त दिनेश को भा.द.वि. की धारा-457 एवं 354 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने के आरोप में दोषसिद्ध घोषित करता है ।

21. प्रकरण की गंभीरता एवं समाज में बढ़ रहे इस प्रकृति के अपराधों को देखते हुए आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः आरोपी को सजा के प्रश्न पर सुनने के लिये निर्णय अस्थायी रूप से स्थगित किया जाता है ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.

पुनश्च:

22. सजा के प्रश्न पर आरोपी एवं उसके अधिवक्ता को सुना गया । उनका निवेदन है कि आरोपी कम आयु का नवयुवक है और लम्बे समय से विचारण का सामना कर रहा है, अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए ।

23. यह सही है कि आरोपी लम्बे समय से विचारण का सामना कर रहा है, लेकिन आरोपी ने जिस प्रकार एक विवाहित महिला के घर में घुसकर उसकी लज्जा भंग की है, उसे देखते हुए आरोपी को न्यूनतम दण्डादेश से दण्डित करना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

24. अतः यह न्यायालय अभियुक्त दिनेश पिता पर्वत भीलाला, आयु-39 वर्ष, निवासी ग्राम मंडवाड़ा तहसील अंजड़ जिला बड़वानी को भा.द.वि. की धारा-457 एवं 354 में दोषसिद्ध करने के पश्चात् भा.द.वि. की धारा-457 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने के आरोप में 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं रुपये 5,00/- (अक्षरी पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं भा.द.वि. की धारा-354 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने के आरोप में 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं रुपये 5,00/- (अक्षरी पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्डादेश से दण्डित किया जाता है ।

25. अभियुक्त के जमानत—मुचलके निरस्त किये जाते हैं ।
26. अभियुक्त का द.प्र.सं. की धारा—428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण—पत्र बनाया जाए ।
27. प्रकरण में कोई भी जप्त संपत्ति नहीं है ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला—बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला—बड़वानी, म.प्र.